दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, मंगलवार, 12 अप्रैल 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 193

महत्वपूर्ण एवं खास

भूसे के ढेर में छिपी बहनें आग से जिंदा जलीं, दो को बचाया

शिवपुरी (आरएनएस)। पिछोर थानांतर्गत ग्राम नयागांव गजौरा में रविवार की शाम एक हृदय विदारक घटनाक्रम में दो सगी बहनों की जिंदा जलकर मौत हो गई। दो बच्चों को ग्रामीणों ने सकुशल बचा लिया। जानकारी के अनुसार ग्राम नयागांव गजौरा निवासी कृपाल सिंह खेत में बने मकान पर रहते हैं। मकान के पास ही एक झोंपड़ी भी बनी हुई है। इसमें भूसा भराह ुआ था। झोंपड़ी के पास ही रविवार की शाम करीब पांच बजे कृपाल सिंह की पांच साल की बेटी शिवांशी व तीन साल की नित्थ्या चचेरे भाई-बहन अभिजीत व समीक्षा के साथ खेल रही थीं। अचानक झोंपड़ी में आग लग गई। धुआं उठते हुए बच्चों के स्वजन व अन्य ग्रामीणों ने देखा तो वह दौड़ कर वहां गए। झोंपड़ी से अभिजीत व समीक्षा को बाहर निकाल लिया जबकि भूसे के ढेर में छिपकर बैठी हुई शिवाशिं व नित्या गामीणों को नजर नहीं आई। अभिजीत-समीक्षा भी आग की घटना से डर गए और उन्होंने भी शिवांशी व नित्या के अंदर फंसे होने के बारे में नहीं बताया। इसी दौरान आग भडक़ गई। जब फायर ब्रिगेड के आने के बाद आग बुझी तो देखा कि दोनों बच्चियां भूसे के ढेर में जली पड़ी थीं। जहां आग लगी, वहां न तो बिजली का कनेक्शन है और न ही कोई आग आसपास थी। ऐसे में फिलहाल कोई यह नहीं समझ पा रहा है कि आखिर झोंपड़ी में आग कैसे लगी।

केमिकल फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, काम कर रहे 6 मजदूरों की मौत

अहमदाबाद (आरएनएस)। गुजरात के भरूच जिले में रासायनिक कारखाने में विस्फोट का मामला सामने आया है। ये हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही छह कर्मचारियों ने दम तोड़ दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात तीन बजे एक रासायनिक फैक्ट्री में धमाका हुआ। धमाके से आसपास के इलाके में हडक़ंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में मारे गए छह लोग उस संयंत्र के निकट काम कर रहे थे, लेकिन विलायक आसवन प्रक्रिया के दौरान अचानक विस्फोट हो गया। जिससे कारखाने में आग लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारण लाखों रूपए के नुक्सान की आशंका है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया है। शुरूआती जांच में विस्फोट को ही आग का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच जारी है।

इस्कॉन मंदिर में करंट लगने से श्रद्धालु की मौत, ठेकेदार गिरफ्तार

मुंबई (आरएनएस)। मुंबई के जुहू इलाके में इस्कॉन मंदिर में करंट लगने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही का केस दर्ज किया है। जुहू पुलिस ने बताया कि ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में आगे की जांच जारी है। फिलहाल यह पता नहीं चल सका है कि श्रद्धाल को करंट कैसे लगा और कैसे वह इसकी चपेट में आ गया। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। रविवार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में रामनवमी के जुलूस के दौरान ऑटोरिक्शा पर भगवा झंडा लगाने के लिए लगाया गया लोहे का डंडा अचानक ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार के संपर्क में आ गया। इससे इस वाहन में सवार पांच लोग झुलस कर घायल हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके ने कहा कि हादसे में एक महिला सहित दो लोगों को गंभीर चोट आई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए नागपुर ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य सभी को स्थानीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उइके ने कहा कि घायल एक ऑटोरिक्शा में सवार थे, जिसमें डीजे लगाए गए थे। यह घटना शहर के चार फाटक में हुई। उन्होंने कहा कि इस जुलूस में बड़ी तादात में लोग थे।

कोल्हापुर में दीवार गिरने से एक की मौत

कोल्हापुर (आरएनएस)। महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिला के पन्हाला तहसील के गांव तिरपन में बीती देर शाम बेमौसम हुई भारी बारिश के एक मकान की दीवार गिर गयी, जिसके कारण 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जैसे ही उस व्यक्ति ने बारिश से बचने के लिए घरेलू पशुओं के शेड में आश्रय लिया, उसके पड़ोसी के घर की दीवार अचानक शेड पर गिर गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे मलबे के नीचे से निकाला और छत्रपति प्रमिला राजे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

भारत में बना पहला विमान एचएएल डोर्नियर डीओ-228 आज असम से अरुणाचल प्रदेश के लिए भरेगा उड़ान

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश के बाकी हिस्सों के साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के हवाई संपर्क को अधिक बढ़ावा देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने 'उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) में हवाई संपर्क और विमानन बुनियादी ढांचा प्रदान करना' नामक योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों में हवाई संपर्क को बढ़ावा देना तथा आवश्यक होने पर बुनियादी ढांचा विकसित करना है। इस योजना के एक हिस्से के रूप में मंगलवार को दो महत्वपूर्ण विकास शुरू होंगे- भारत में निर्मित एचएएल डोर्नियर डीओ-228 विमान की असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक पहली उड़ान का आयोजन होगा और अलायंस एयर, नागरिक संचालन के लिए भारत में निर्मित विमान का उड़ान करने वाली भारत की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन होगी। इसके अलावा असम के लीलाबारी में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए पहले एफटीओ (उड़ान प्रशिक्षण संगठन) का भी उद्घाटन होगा।

दोनों कार्यक्रमों में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के साथ असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों क्रमश: हिमंत बिस्वा सरमा और पेमा खांडू की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। इनके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय में सचिव राजीव बंसल, संयुक्त सचिव श्रीमती उषा पाधी और अंबर दुबे तथा असम और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों और अलायंस एयर के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) का विकास न केवल सामरिक महत्व का है, बल्कि भारत की विकास गाथा का भी हिस्सा है। एनईआर में कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है और उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस), नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने एनईआर की प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की है। इससे एनईआर और इससे बाहर कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस संबंध में नए हवाई अड्डों का विकास हो रहा है और पुराने हवाई अड्डों का उन्नयन किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखते हुए कनेक्टिविटी के लिए उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर संचालन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

खंभात में रामनवमी पर हिंसा के आरोप में नौ गिरफ्तार, हिम्मतनगर में धारा 144 लागू

अहमदाबाद (आरएनएस)। गुजरात के आणंद जिले के खंभात में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा और पथराव में संलिप्तता के आरोप में पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इसी तरह की घटना के बाद साबरकांठा के हिम्मतनगर शहर में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इन घटनाओं को लेकर रविवार देर रात गांधीनगर में शीर्ष पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई और आवश्यक आदेश दिए। रविवार को खंभात में हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आणंद के पुलिस अधीक्षक अजित राजियन के अनुसार, हिंसा और पथराव में कथित रूप से शामिल अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा, 'खंभात शहर में स्थिति नियंत्रण में है। हमने नौ संदिग्धों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।' पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में कुछ स्थानीय मौलवी भी शामिल हैं। वहीं, साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में रविवार को रामनवमी के मौके पर दो समुदायों के बीच इसी तरह की हिंसा में पथराव और झड़प की खबरें हैं। साबरकांठा के जिलाधिकारी हितेश कोया ने रविवार शाम को एक आदेश जारी कर क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी, जिससे छपरिया क्षेत्र सहित शहर के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में पांच से अधिक लोगों के इक_ा होने पर प्रतिबंध लग गया है। छपरिया क्षेत्र में आगजनी की घटना हुई थी। निषेधाज्ञा 13 अप्रैल तक लागू रहेगी। त्वरित कार्य बल, स्थानीय पुलिस और राज्य रिजर्व पुलिस के जवानों ने छपरिया इलाके में मार्च किया।

कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को कोविड मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय की समयसीमा

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों के परिवारों को कोविड मुआवजे के लिए समयसीमा तय की है। केंद्र ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को दिए एक आदेश में कोविड -19 मौतों के मुआवजे के दावे दायर करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं- 20 मार्च, 2022 से पहले कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में मुआवजे के दावे दायर करने के लिए 24 मार्च, 2022 से साठ दिनों की बाह्य समय सीमा लागू होगी। -भविष्य में कोविड-19 से होने वाली किसी भी मृत्यु के लिए दावा दायर करने के लिए समय-सीमा मृत्यु की तिथि से नब्बे दिन की होगी। -दावों की जांच एवं कार्यवाही करने के लिए दावे की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर मुआवजे का वास्तविक भुगतान करने का पूर्व आदेश जारी रहेगा।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि अत्यधिक कठिनाई के मामले में जहां कोई दावेदार निर्धारित समय-सीमा के अंदर आवेदन नहीं कर सकता है तो वह दावेदार शिकायत निवारण समिति के माध्यम से ऐसा कर सकता है। ऐसे दावों पर शिकायत निवारण समिति द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा और अगर शिकायत निवारण समिति द्वारा यह पाया जाता है कि कोई विशेष दावेदार उस निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावा नहीं कर सकता है जो उनके नियंत्रण से बाहर है तो उस मामले में दावे पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि फर्जी दावों के जोखिम को कम से कम करने के लिए 5 प्रतिशत दावा आवेदनों की पहली बार में रैन्डम जांच की जाएगी। अगर यह पाया जाता है कि किसी व्?यक्ति ने फर्जी दावा किया है, तो उस पर डीएम अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत विचार किया जाएगा और तदनुसार उसे दंडित किया जा सकता है।

रेप के बाद नाबालिग की हत्या: जबरन कराया अंतिम संस्कार, नहीं होने दिया पोस्टमार्टम आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक नाबालिग की गैंगरेप के बाद मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोप है कि हंसखाली नाम की जगह पर एक बर्थडे पार्टी के दौरान नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि मुख्य आरोपी एक टीएमसी पंचायत सदस्य का बेटा है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पीड़िता कक्षा 9 में पढ़ती थी। उसके माता पिता ने घटना के चार दिन बाद हंसखाली थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में मुख्य आरोपी बृजगोपाल उर्फ सोहैल गयाली को पहले हिरासत में लिया गया और फिर कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर पॉक्सो ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

इस मामले में कानूनी दखल के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की गई हैं। जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। शिकायत के मुताबिक पीड़िता आरोपी के घर उसके बर्थडे पार्टी में शामिल होने गई थी। वह जब घर लौटी तो उसकी हालत बिगड़ी हुई थी और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई।

पीड़िता की मां ने बताया कि जब स्थानीय टीएमसी नेता के घर से उनकी बेटी वापस आई तो उसे खून बह रहा था और पेट में दर्द था। उसे अस्पातल लेकर जाते उससे पहले ही मौत हो गई। उन्होंने कहा कि पार्टी में मौजूद लोगों से मिली जानकारी के बाद मुझे पक्का पता है कि आरोपी और उसके दोस्तों ने उसके साथ गैंगरेप किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़िता का डेथ सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही अंतिम संस्कार का दबाव बनाया गया। परिवार का कहना है कि कुछ लोगों ने उन्हें पहले ही धमकी दी थी की बेटी का इलाज पास की क्लीनिक में ही करवाएं। उसे लेकर किसी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल न जाएं। बताया जा रहा है कि बाहुबली समरेंद्र गयाली का बेटा बृजगोपाल पीड़िता की ओर आकर्षित था और उसने अपनी बर्थडे पार्टी में उसे बुलाया था। पीड़िता के परिवार ने शुरू में बताया कि उनकी बेटी की तबीयत पार्टी के दौरान ही बिगड़ गई थी और इसके बाद उसे लेकर लोकल क्लीनिक में गए।

रानाघाट में जूडिशल मजिस्ट्रेट के सामने भी पीड़िता के परिवार, क्वैक डॉक्टर और श्मशान के अटेंडेंट के बयान दर्ज किए गए। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने उसे पेनकिलर दिया था लेकिन कोई डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। वहीं श्मशान कर्मी ने कहा कि जब पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ तो वह वहां मौजूद नहीं था।

भारत ने टैंकरोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। स्वदेश में ही विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली टैंक-रोधी मार्गदर्शित मिसाइल हेलीना का सोमवार को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना की वैज्ञानिकों की टीमों द्वारा यह परीक्षण उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण ट्रायल्स के हिस्से के रूप में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। ये परीक्षण एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) से किए गए थे और मिसाइल को नकली टैंक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक दागा गया। मिसाइल को एक इन्फ्रारेड इमेजिंग सीकर (आईआईआर) द्वारा निर्देशित किया जाता है जो लॉन्च से पहले लॉक ऑन मोड में काम करता है। यह दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है।

पोखरण में किए गए प्रमाणीकरण परीक्षणों के विस्तार में, उच्च ऊंचाई पर इसकी प्रभावकारिता का प्रमाण उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के साथ इसके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। इन परीक्षणों को सेना के वरिष्ठ कमांडरों और डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की मौजूदगी में किया गया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त कार्य सहयोग के माध्यम से पहली उपलब्धि हासिल करने के लिए डीआरडीओ और भारतीय सेना को बधाई दी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने कठिन परिस्थितियों में किए गए सराहनीय प्रयास के लिए टीमों को बधाई दी।

देवघर में रोपवे पर हुआ हादसा : खतरे में 48 जिंदगियां, रेस्क्यू में जुटे सेना के हेलीकॉप्टर

रांची (आरएनएस)। देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे के बाद फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सोमवार सुबह से सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। अभी 48 लोग अलग-अलग ट्रॉलियों में लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर फंसे हुए हैं। रविवार शाम हुए इस हादसे में एक महिला की मौत हुई है जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है। एनडीआरएफ की टीम ने रविवार रात को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था और लगभग दो दर्जन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। रात होने की वजह से ऑपरेशन बंद करना पड़ा। सोमवार सुबह से सेना के हेलीकॉप्टर ट्रॉलियों में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। इन लोगों तक एक खाली ट्रॉली के जरिए बिस्किट और पानी के पैकेट पहुंचाए गए हैं। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे, जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री सहित कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। रविवार शाम लगभग 6 बजे देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोपवे का एक तार टूट जाने की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे की वजह से मरने वाली महिला की पहचान सुरा गांव निवासी 40 वर्षीय महिला सुमति देवी के रूप में हुई है। घायलों में असम के कोकराझार निवासी भूपेंद्र वर्मा व उसकी पत्नी दीपा वर्मा, जामताड़ा जिला के करमाटांड़ निवासी रूपा कुमारी, सोनी देवी, गिरिडीह के करमाटांड़ निवासी गोविंद भगत, बिहार के दरभंगा अंतर्गत लहरियासराय निवासी खुशबू रानी, सुधा रानी और एक बालक घायल हैं। घायलों में अज्ञात बालक के साथ एक महिला की स्थिति गंभीर बतायी जा रही है।

खरगोन उपद्रव में 84 गिरफ्तार, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर : गृह मंत्री डॉ.मिश्रा ने कहा-जिस घर से पत्थर आए, उसे पत्थर का ढेर बनाएंगे

खरगोन/भोपाल (आरएनएस)। रविवार को रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभायात्रा पर पथराव के बाद रात भर शहर में कई स्थानों पर आगजनी व पथराव की घटनाएं हुई। पथराव की घटनाओं में खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी व टीआई बनवारी मंडलोई सहित करीब आठ पुलिसकर्मी घायल हुए। सोमवार को डीआईजी तिलक सिंह ने एसपी के पैर में गोली लगने की पुष्टि की। साथ ही बताया कि वह खतरे के बाहर हैं। रात भर चली कार्रवाई में पुलिस ने कुल 84 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी ने बताया कि 25 स्थानों पर आगजनी की घटना हुई है, वहीं कुल 27 लोग घायल हुए हैं। खरगोन में हालात पर नियंत्रण के करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकडिय़ां तैनात की गई हैं।खरगोन तालाब चौक में कार्रवाई के लिए पोकलेन मशीन बुलाई गई है।

उपद्रव के बाद प्रशासन की कार्रवाई जारी, तालाब चौक के समीप छोटी मोहन टाकीज एरिया में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। इंदौर संभागायुक्त डा. पवन कुमार शर्मा ने बताया कि दंगाइयों के 50 मकानों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही इसमें शामिल 4 सरकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है।

गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा कहा कि वर्तमान में खरगोन में शांति है। पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। कर्फ्यू लगा हुआ है। लगातार दंगाइयों को चिह्नित किया जा रहा है। जिस-जिस घर से पत्थर आए है, उस घर को पत्थर का ढेर बनाएंगे। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है। प्रदेश में शांति व्यवस्था बिगाडऩे का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हम न ही किसी को बिगाडऩे देंगे। खुरगोन में रविवार शाम को रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ था। इस घटना में पुलिसकर्मी समेत 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। घटना के बाद संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। अभी खरगोन में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा बड़वानी के सेंधवा में जुलूस पर पथराव की घटना हुई।

गृह मंत्री डॉ.मिश्रा ने बताया कि खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी गोली के छर्रे से घायल हुए हैं। इसके साथ ही 6 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एक व्यक्ति शिवम शुक्ला के सिर में ज्यादा चोट लगी है। बाकी किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है। उन्होंने बताया कि बडवानी में कोई घायल नहीं है। वहां पर कर्फ्यू नहीं लगा है। इसके कुछ देर बाद खुद मिश्रा ने फोन पर सिद्धार्थ चौधरी से बात की। उनका हाल-चाल जाना।

गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश का सांप्रदायिक वातावरण किसी को बिगाडऩे नहीं देंगे। कुछ लोग चुनाव की हार से आहत है। अभी पांच राज्यों के परिणाम से आहत हुए हैं। वह पीछे से सुलगाने का काम करते हैं। वह प्रदेश का सुख-चैन बिगाडऩा चाहते है। इन परिणामों से भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि देश क्या चाहता है। देश किस दिशा में जाना चाहता है, इस वजह से ऐसे लोगों के मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे।

इंदौर के संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा ने बताया कि हम लोग रविवार रात से ही खरगोन में हैं। 84 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य सरकार की दंगा और उपद्रव मामलों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आरोपियों की आर्थिक कमर तोडऩे के लिए हमने करीब 50 स्थानों को चिह्नित किया है, जहां बुलडोजर चलाया जाएगा।